

Telangana Today- 09- September-2021

[ Limping Back ]

# Sigh of relief as rains recede

Inflows to major irrigation projects across the State are also decreasing gradually, say officials

STATE BUREAU  
HYDERABAD

The incessant rains that continued to lash the State for the last few days receded in several parts of the State, except the erstwhile Nizamabad district, bringing much needed relief to people to gear up for the 11-day Ganesh Chaturthi festival from Friday.

However, water levels in the Godavari at Bhadrachalam were rising slowly and reached 38.70 feet at 6 pm today. The water levels in many low-lying areas in the undivided Karimnagar district, which bore the brunt of the rains, were also receding gradually.

Residents in several colonies were forced to wade through knee-deep water as heavy rains lashed the State since Sunday. This forced many to stay indoors. Since many parts of the State did not register rainfall on Wednesday, residents ventured out to indulge in festival shopping.

Markets were buzzing with activity as people thronged them for shopping ahead of the festival. Since inflows to the major irrigation projects were also decreasing gradually, irrigation officials were closely

monitoring water levels and accordingly lifting the gates. Authorities opened eight gates of Priyadarshini Jurala Project and releasing 85,111 cusecs of water downstream. At Sriram Sagar Project, officials opened 33 gates and releasing 4.04 lakh cusecs of water downstream. The project is receiving 3.50 lakh cusecs of inflows from the upstream areas.

Two gates of Mid Manair Dam (MMD) were opened to discharge 2,456 cusecs of water. The MMD is, presently, receiving 16,237 cusecs of inflows. Officials lifted four gates of Lower Manair Dam (LMD) and releasing 8,005 cusecs of water downstream. The LMD is now receiving 22,143 cusecs of inflows.

The India Meteorological Department said the southwest monsoon has been normal over Telangana. The Nizamabad district registered heavy rainfall on Wednesday when compared to other districts in the State.

Navipet in Nizamabad registered highest rainfall of 126.2 mm while Bodhan and Makloor recorded 119 mm and 110.2 mm rainfall respectively. Yedapalle registered 98.2 mm rainfall.

## KTR tours flood-affected Sircilla



MA&UD Minister KT Rama Rao interacting with an elderly man in Sircilla on Wednesday.

STATE BUREAU  
Rajanna Sircilla

Municipal Administration and Urban Development Minister KT Rama Rao toured flood-affected areas in Sircilla town on Wednesday. Due to torrential rains since Monday evening, most low-lying areas in Sircilla town, which recorded 15 cm rainfall after 30 years, were inundated.

Life came to a standstill in Venkampeta, Pragathinagar, Shivanagar, Ashoknagar, Old Bus Stand, Sanjeevaiahnagar, Nethanna chowk, Main Bazar and Shanthinagar as floodwaters inundated low-lying areas.

Local MLA and Minister KT Rama Rao visited the Shanthinagar area, which bore the brunt of monsoon fury. Since the floodwater has not yet receded, the

Minister toured in knee-deep water and enquired the locals about their problems and assured them of all assistance from the government. Earlier, He conducted a review meeting at Collectorate on the damage due to rains and relief measures. He sanctioned Rs 1.35 crore for road repair works and asked the officials to take steps to avert the flood situation in near future.

Telangana Today- 09- September-2021

# ‘Andhra govt misled NGT on RLIS works’

## Photographs of RLIS site lays bare AP claims

STATE BUREAU

Hyderabad

The photographs in the inspection reports submitted by the Krishna River Management Board (KRMB) and Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) clearly indicate that Andhra Pradesh was committing violations with respect to the Rayalaseema Lift Irrigation Scheme (RLIS).

This was brought to the notice of the National Green Tribunal (NGT) by the advocate K Shravan Kumar, who is arguing the case on behalf of petitioner Gavnolla Srinivas. The case came up for hearing on Wednesday. Shravan argued that AP informed the tribunal that the works were stopped from July 7.

“When works were actually meant for preparing a Detailed Project Report (DPR), why did the AP government stop work? It should have continued,” he argued. Sources said the

NGT, after seeing the photographs, had also opined that even a layman could understand that the works were not meant for preparing a DPR but actual foundation work.

The NGT later adjourned the case to September 16. MoEF&CC, in its report, said the earlier procured construction materials were stored at the RLIS site. Photographs of forebay, pump house, pipeline and delivery cistern and approach channel were enclosed with the report. In the report on the status of RLIS, the Ministry said there were no signs of progress in project construction works and all construction equipment, machineries - drilling, batching plants, trucks, JCBs and labour hutment were under shutdown or in periodic maintenance condition.

The inspection was conducted by Dr. Suresh Babu Pasupuleti, Scientist-C, MoEF&CC, Integrated Regional Office (IRO) in Vijayawada on Monday.

The inspection was carried out at RLIS on downstream of Pothireddypadu Head Regulator in Kurnool following directions from the NGT to file an statement regarding allegations made in the application in respect of the violation said to have been committed by AP.

During inspection, R Muralinatha Reddy, Chief Engineer and District Water Resources Officer (DWRO) and other officials were present.

It has been observed that the MoEF&CC granted three environmental clearances (ECs) for various canals of the project - Telugu Ganga Project (TGP) in 1988, Srisailem Right Branch Canal (SRBC) in 1995 Galeru Nagari Sujala Sravanthi (GNSS) in 2006.

It has been observed that there were no signs of progress in project construction works and all equipment and labour hutment were under shutdown or periodic maintenance condition.



Deccan Chronicle- 09- September-2021

# TS suffers over ₹1,000cr loss in week-long rainfall

DC CORRESPONDENT  
HYDERABAD, SEPT. 8

Telangana has suffered losses of over ₹1,000 crore due to heavy rains over the past eight days as per preliminary estimates of the state government. Overall losses are expected to increase further once final reports are obtained in two weeks.

The state government has decided to seek Central assistance under the natural calamity fund once the enumeration of damage is completed. Agriculture sector remains the worst affected followed by damage to roads and infrastructure, especially in North Telangana districts, which received record rainfall.

Meanwhile, heavy rains subsided in the state on

● **HEAVY RAINS** subsided on Wednesday after eight days. It is estimated that huge funds will be required for restoration of roads and civic amenities due to the damage caused to drainage systems and water supply networks.

Wednesday after eight days. Officials of various departments have started enumeration to assess the losses caused by rains to various sectors. It is estimated that huge funds will be required for restoration of roads and civic amenities in gram panchayats, municipalities and municipal corporations due to the damage caused to drainage systems and drinking water supply networks.

Municipal administration and urban development minister K. T. Rama Rao, panchayat raj and rural development minister Errabelli Dayakar Rao, roads and buildings minister Vemula Prashanth Reddy and irrigation officials reviewed with officials in respective districts and obtained reports on the devastation caused to standing crops, roads, highways, bridges, canals, minor irrigation tanks etc.

Rama Rao on Wednesday visited Siricilla town which was flooded due to heavy rainfall.

Huge losses were reported from the undivided Karimnagar, Warangal, Adilabad, Nizamabad and Khammam districts.

■ **Page 2: Crops lost in five lakh acre, say officials**

## CROPS LOST IN FIVE LAKH ACRE, SAY OFFICIALS

From Page 1

Agriculture department estimated loss to standing crops in kharif, especially paddy and cotton, over an extent of five lakh acres. Official sources said farmers would have to take up fresh sowing operations as standing crops were washed away incurring additional expenditure for cultivation.

Irrigation officials are assessing the losses caused due to breach of tanks and damage to the canals and reservoirs due to overflows.

The state energy department has also suffered losses due to the damage of transformers and transmission networks.

This apart, residents in rain-hit areas suffered huge losses due to collapse of houses, flooding of their homes and business establishments and damage to vehicles, electronic, household goods etc.

Times of India- 09- September-2021

# 1 dead, many missing after vessels collide on Brahmaputra near Jorhat

Over 70 Were  
On Boat, 43  
Rescued So Far

Prabin.Kalita@timesgroup.com

**Guwahati:** One woman died and several others were missing after their private motorised country boat going from Majuli island to Nimatighat in Assam's Jorhat district sank in the Brahmaputra after being hit by a bigger ferry coming from the opposite direction on Wednesday afternoon.

The incident occurred around 4.15pm. The country boat was named "Ma Kamala" and the ferry was the "Tripkai".

Boats run by government and private parties are the lifeline for the islanders. Privately run boats do not issue tickets and hence they do not keep count of passengers. Authorities said according to various sources at least 70 people had been on board the boat, and the number of those missing could be around 27. The deceased woman, Parimita Das, from Guwahati, had recently started work as a schoolteacher in Majuli.

Assam CM Himanta Biswa Sarma said 43 people had been rescued so far. "One of them, a



People gather on the banks of the Brahmaputra in Jorhat after the accident on Wednesday

woman, died after she was brought to Jorhat Medical College and Hospital". At least seven among the rescued passengers are children, the youngest an infant of three months.

PM Narendra Modi tweeted, "Saddened by the boat accident in Assam. All possible efforts are being made to rescue the passengers. I pray for everyone's safety and well-being".

Search operations by the NDRF, SDRF and local youths were on when reports last came in. Divers had found the sunken boat about 200 metres downstream from the collision site.

Sarma said, "So far, missing reports of four people have been received through our toll-free numbers, but we would need a couple of hours to ascertain the number of missing people".

Sarma said due to strong currents, divers could not search inside the boat for trapped people. "We will now cut through the boat to carry out search operations underneath the upturned boat," he said.

Dozens of country boats carry hundreds of people to and from the island to Jorhat mainland every day in the absence of a bridge. The founda-

tion stone of a bridge was laid by Union minister Nitin Gadkari in 2016, before the assembly polls, and construction work for the two-lane, 6.8-km bridge was inaugurated by PM Narendra Modi in February 2021, before the assembly polls.

The Assam government has suspended the inland water transport department's executive engineers from Dibrugarh division, and an assistant executive engineer and junior engineer from Jorhat sub-division, for negligence of duty, and has ordered a magisterial inquiry into the boat mishap.



Millennium Post- 09- September-2021

AFTER 75 YEARS OF INDEPENDENCE

# Bombay HC unhappy over people knocking court's door for water

Water has to be supplied daily for at least a few hours'


## OUR CORRESPONDENT

**MUMBAI:** The Bombay High Court on Wednesday said supply of regular drinking water was a fundamental right and it was unfortunate that people have to knock on the court's doors to get water even after 75 years of independence.

The strong remarks were made by a division bench of Justices S J Kathawalla and Milind Jadhav while hearing a petition filed by residents of Kambe village in Bhiwandi town of neighbouring Thane district.

They were seeking a direction to STEM Water Distribution and Infra company, a joint venture of the Thane Zilla Parishad and the Bhiwandi Nizampur Municipal Corporation, to supply drinking water on a daily basis.

The petitioners contended that they are currently getting water supply only twice a month and that too for approximately two hours.



On Wednesday, STEM's Managing Director Bhausaheb Dangde informed the court that water was being supplied daily, but only to one particular point, and claimed the distribution of water from that point to the petitioners' homes was the responsibility of the village's gram panchayat.

Dangde further said the demand for water in the village has increased over the last few years because of a rise in population there.

We need to upgrade the

system, he said. To this, the court asked what should the petitioners do till the system is upgraded.

Water has to be supplied daily for at least a few hours. This is their fundamental right. People cannot suffer like this. It is really unfortunate that they (petitioners) have to knock on the court's doors even after 75 years of independence to get water supply, the HC said.

Don't force us to say that the Maharashtra government

has failed to provide water to its citizens. We refuse to accept that the state government is so helpless. We will not shy away from calling the highest functionary of the state government, the bench said.

The petitioners had also alleged that the STEM company was supplying water illegally to local politicians and tanker lobbies, and claimed there were over 300 illegal water connections and valves fixed on the main pipeline.

The court sought to know from Dangde what steps the company has taken to address these issues.

First remove these illegal connections. You (STEM) have not even bothered to file any police complaints. Because of your inaction, the petitioners, who have to receive water as a right, are not getting any water, Justice Kathawalla said, adding that Dangde does not seem to be interested in solving the problem.

The Hans- 09- September-2021

# Godavari water mark reaches 38 feet at Bhadrachalam

HANS NEWS SERVICE

BHADRACHALAM

DUE recent heavy rains in the Bhadrachalam the water level has reached 38 feet in river Godavari at Bhadrachalam by 6pm on Wednesday. The ghats on banks of the river which are usually used for bathing were submerged with floodwaters. The devotees of Lord Rama were in fear to have bathe on the banks due to heavy flow of water on the ghats. Officials believe that the water level may go upto 43 feet and then reduce slowly by Thursday. If it is the case, then the officers might have to give first warning alert to the people.

The district Collector of Bhadrachalam Kothagudem D Anudeep is monitoring the situation and has held reviewed meeting with all the mandal officers on flood situation. He ordered to officers not to leave the station without a prior permis-



The ghats submerged with floodwater in temple town Bhadrachalam on Wednesday

sion. He instructed the officials to take measures to prevent spread of viral diseases which are common during the rainy seasons and flood-like situations in the region. The Collector has setup control room in in Bhadrachalam and Kothagudem and appealed the people to dial

08744-241950, 08743-323444 for any emergency cases.

In the meantime, the officilas of Taliperu project lifted six gates by three feet height and have released 10,643 cusecs of water into Godavari in Cherla. The water bodies across the district are filled with floodwaters.



Thursday, 9 September 2021

[Epaper](#)

Follow Us



Chandigarh 30°C ▼

[PUNJAB](#)

## Deficit rain lowers Bhakra level, to hit crops in 3 states

Mainly Punjab, Haryana and Rajasthan use Bhakra's water for irrigation and drinking purposes

Updated At: Sep 08, 2021 08:03 AM (IST)

1997 0 0 0




Aman Sood

Tribune News Service

Patiala, September 7

Deficient rainfall this monsoon in Punjab and Himachal has resulted in low water levels in Bhakra and Pong Dams. Experts suggest this may lead to less release of water in canals for irrigation purposes next year during Rabi season.



# ALARMING DIP

## BHAKRA DAM

Current level	Last yr	Total capacity
1,629 ft	1,659 ft	1,685 ft

## PONG DAM

1,344.6 ft	1,374.6 ft	1,400 ft
------------	------------	----------

Overall water level in 8 reservoirs of northern region is just 54% of total live storage against last year's 76%

According to irrigation department officials, Punjab and Himachal have recorded a deficiency of 24 per cent and 18 per cent, respectively, for this entire season so far. Water released from Bhakra is considered the lifeline of the Malwa belt in Punjab and many parts of Rajasthan.

As per official records, the water level of Bhakra Dam stood at 1,629 ft on September 4 as compared to 1,659 ft last year. Its capacity is 1,685 ft.

“Water level in Bhakra is 30 ft lower than the last year and 56 ft lower than the maximum level. Similarly, the water level of Pong Dam stood at 1,344.6 ft as compared to 1,374.6 ft on the same day last year,” said All India Power Engineers Federation spokesman VK Gupta.


“The capacity of Pong Dam is 1,400 ft. This time, the water level is 30 ft less than last year and 55.4 ft less than the maximum level,” he added.

Officials confirm that the target for filling the Bhakra reservoir is 1,650 ft on July 31, while it is 1,670 ft on August 15 and 1,680 ft on August 31. “Due to the low water levels of Bhakra and Pong dams, full water is not being released into the canals,” they say.

According to a central water commission bulletin dated September 2, the overall water level in eight reservoirs of northern region is just 54 per cent of the total live storage, whereas this figure was 76 per cent last year.

The storage at Bhakra Dam is 73 per cent, while at Pong reservoir is 58 per cent of the normal storage for the year. “Low rainfall and reservoir levels are likely to damage food production, pushing inflation and also threatening power production. The normal filling season for the reservoir ends on September 20,” claims an irrigation official.

Punjab, Haryana and Rajasthan use Bhakra's water for irrigation and drinking purposes. Officials say this is the state governments chalk out a strategy to reduce dependency on Bhakra for irrigation and ins it with “sprinkler or drip irrigation” systems.





Jansatta- 09- September-2021

बंबई उच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी

दुर्भाग्यपूर्ण

75 साल बाद भी लोग पानी के लिए अदालत में

# पेयजल की नियमित आपूर्ति मौलिक अधिकार

मुंबई, 8 सितंबर (भाषा)।

बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि पेयजल की नियमित आपूर्ति मौलिक अधिकार है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को आजादी के 75 साल बाद भी पानी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।

न्यायमूर्ति एस जे कथावाला और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने पड़ोसी ठाणे जिला के भिवंडी शहर के कांबे गांव के ग्रामीणों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कड़ी टिप्पणी की। याचिका में ग्रामीणों ने ठाणे जिला परिषद और भिवंडी निजामपुर नगर निगम के संयुक्त उद्यम एसटीईएम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फ्रा कंपनी को दैनिक आधार पर पानी

ग्रामीणों की याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा, 'रोजाना कम से कम कुछ घंटों के लिए पानी की आपूर्ति करनी होगी। यह उनका मौलिक अधिकार है। लोग इस तरह पीड़ित नहीं हो सकते। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें (याचिकाकर्ताओं को) आजादी के 75 साल बाद भी जल आपूर्ति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है।'

पीठ ने कहा, 'हमें यह कहने के लिए मजबूर नहीं करें कि महाराष्ट्र सरकार अपने नागरिकों को पानी उपलब्ध कराने में विफल रही है। हम यह मानने से इनकार करते हैं कि राज्य सरकार इतनी लाचार है। हम राज्य सरकार के सर्वोच्च पदाधिकारी को बुलाने से नहीं हिचकिचाएंगे।'

की आपूर्ति करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि उन्हें महीने में सिर्फ दो बार पानी आपूर्ति होती है और यह सिर्फ दो घंटे के लिए होता है। स्टेम के प्रबंध निदेशक भाउसाहेब डांगड़े ने बुधवार को अदालत को सूचित किया कि पानी की आपूर्ति

रोजाना हो रही है लेकिन यह सिर्फ एक निश्चित जगह होती है और उन्होंने दावा किया कि उस निश्चित जगह से ग्रामीणों को रोजाना पानी की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। डांगड़े ने कहा कि पिछले कुछ साल में गांव में आबादी बढ़ने से पानी की मांग बढ़ी है। उन्होंने कहा, 'हमें व्यवस्था को दुरुस्त करने

की जरूरत है।' इस पर अदालत ने पूछा कि व्यवस्था दुरुस्त होने तक याचिकाकर्ता क्या करें। उच्च न्यायालय ने कहा, 'रोजाना कम से कम कुछ घंटों के लिए पानी की आपूर्ति करनी होगी। यह उनका मौलिक अधिकार है। लोग इस तरह पीड़ित नहीं हो सकते। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें (याचिकाकर्ताओं को) आजादी के 75 साल बाद भी जलापूर्ति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है।'

याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया था कि एसटीईएम कंपनी स्थानीय नेताओं और टैंकर माफियाओं को अवैध रूप से पानी की आपूर्ति कर रही थी और दावा किया कि मुख्य पाइपलाइन पर 300 से अधिक अवैध पानी के कनेक्शन और वाल्व लगाए गए थे।

# पांच देशों का बने साझा मंच

हिमालय को एशिया का जलस्तंभ या वाटर टावर इसलिए कहा जाता है कि इस पर बर्फ के रूप में एक महासागर जितना पानी जमा है जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी सदानोरा महानदियों को जन्म देता है। इन्हीं तीन नदियों के बेसिन में विश्व की सर्वाधिक लगभग 90 करोड़ जनसंख्या केंद्रित है। इतना पानी अपने में समेटे रखने वाले पर्वतराज का मिजाज बिगड़ जाए तो जलप्रलय भी मच सकती है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार हिमालय पर हजारों की संख्या में हिमनद झीलों बनी हुई हैं, जिनमें कुछ के फटने से विनाशकारी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जून, 2013 में ऐसी ही झील चोराबाड़ी के फटने से केदारनाथ महाआपदा आई थी। उसके बाद फरवरी, 2021 में लगभग ऐसी ही परिस्थितियों में ऋषिगंगा और धौलीगंगा में सेकड़ों लोगों को लीलेने वाली बाढ़ आई थी।

भारत के हिमालयी क्षेत्र में 1926 में पहली बार ग्लेशियर झील फटने से जम्मू कश्मीर में शियोक ग्लेशियर से आई इस बाढ़ की चपेट में आकर अबुदान गांव सहित आसपास का 400 किलोमीटर का इलाका बर्बाद होने की घटना दर्ज हुई थी। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि 1981 और 1988 में हिमाचल प्रदेश के शौन गैरांग ग्लेशियर से बनी कई झीलें अचानक खाली हो गईं। नेपाल के इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डवलपमेंट (इसीमोड) द्वारा समयसमय पर किए गए कई अध्ययनों में भी हिमालयी क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग आदि कारणों से हिमनद झीलों की संख्या बढ़ने की बात सामने आई थी।

हिमनद झील फटने (ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड) से उत्पन्न बाढ़ की घटनाएं हिमालय ही नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी घटती रहती हैं। चूंकि हिमालय सबसे युवा पर्वतमाला होने के साथ ही इसके उत्तर की ओर खिसकते जाने से यहां भूगर्भीय हलचलें भी अधिक होती हैं, और भूआकृतियों में भी बदलाव अधिक होता है, इसलिए हिमनद झीलों के फटने से उत्पन्न बाढ़ का खतरा यहां ज्यादा रहता है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ग्लेशियरों के अध्ययन के लिए आनंद पटवर्धन की अध्यक्षता वाले

उच्चस्तरीय अध्ययन दल की रिपोर्ट में इस तरह की घटनाओं के लिए मध्य नेपाल, भूटान और पूर्वी हिमालय के क्षेत्र अधिक संवेदनशील बताए गए थे। इस अध्ययन दल, जिसमें पद्मभूषण चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, ने पूर्वी नेपाल के दूधकोशी क्षेत्र की मिंगबो घाटी में 3 सितम्बर, 1977 को आई हिमनद विस्फोटजनित बाढ़ का उल्लेख भी किया है। लेकिन इस अध्ययन के



बाद केदारनाथ में चोराबाड़ी झील के फटने से 16 एवं 17 जून, 2013 को विनाशकारी बाढ़ आई थी। अध्ययन दल ने सतलुज के उद्गम क्षेत्र में 38, तीस्ता में 7, धौलीगंगा में भी 7 और चेनाब के उद्गम क्षेत्र में 31 हिमनद झीलों का उल्लेख किया था। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जून, 2021 में जारी एटलस के अनुसार गंगा बेसिन में मौजूद 4,707 हिमनद झीलों में से सबसे ज्यादा 2,437 कोसी बेसिन में हैं। इसके बाद घाघरा में 1,260 हिमनद झीले हैं। गंडक में 624, ऊपरी गंगा बेसिन में 295, शारदा में 55 और यमुना बेसिन में 36 हिमनद झीलें हैं। गंगा नदी जलग्रहण क्षेत्र की झीलें 20,685 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हैं।

उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (यूसैक) के निदेशक एवं जाने माने भूविज्ञानी डॉ. महेन्द्र प्रताप सिंह बिष्ट के अनुसार हिमालय के निरंतर उठते जाने से भूआकृति भी बदल रही है। इसके साथ ही ग्लेशियरों के पिघलने की गति बढ़ने के कारण ऐसी झीलों की संख्या काफी बढ़ रही है। डॉ. बिष्ट का कहना है कि ऐसी झीलों या तालाबों के निकट या उनके ऊपर हिमखंड स्खलन, भूस्खलन, जलसंग्रहण क्षेत्र में बादल फटने, बड़े भूकंप और भूगर्भीय हलचल से इस तरह की ग्लेशियल लेक या फट जाती हैं जिससे एक साथ विशाल जलराशि मोरेन के मिट्टी, पत्थर, रेत-बजरी आदि मलबे के साथ ढलान वाली निचली

घाटी क्षेत्र में भारी तबाही मचा देती है। इस तरह की झीलों के फटने का ज्यादा खतरा भूटान, तिब्बत, नेपाल, भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया है। भारतीय हिमालय के पूर्वी हिस्से को ज्यादा संवेदनशील चिह्नित किया गया था लेकिन केदारनाथ की बाढ़ के बाद वैज्ञानिकों का ध्यान उत्तराखंड हिमालय पर केंद्रित हुआ तो स्थिति और भी चौंकाने वाली सामने आई। भारतीय भूगर्भ विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉ. रनजीत रथ ने हाल ही विभागीय सर्वे के आधार पर खुलासा किया था कि उत्तराखंड हिमालय की 468 हिमनद झीलों में से 13 झीलें बाढ़ की दृष्टि से काफी संवेदनशील हैं।

डॉ. रथ के अनुसार जून, 2013 की केदारनाथ के ऊपर चोराबाड़ी हिमनद झील के फटने से आई बाढ़ के बाद भूगर्भ विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने 2014 से लेकर 2016 तक हिमालयी हिमनद झीलों का अध्ययन किया था। इस सर्वे में अकेले ऋषिगंगा और धौलीगंगा के उद्गम क्षेत्र में 71 झीलें पाई गईं। इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग के जर्नल में 2016 में प्रकाशित के. बाबू गोविन्दाराज और के. विनोद कुमार के शोधपत्र 'इनवेंटरी ऑफ ग्लेशियल लेक्स एंड इट्स इवोल्यूशन इन उत्तराखंड हिमालया यूजिंग टाइम सीरीज सेटेलाइट डाटा' के अनुसार उत्तराखंड हिमालय में चिह्नित कुल 5 तरह की 362 हिमनद झीलों में से 8 संवेदनशील हैं, जो विभिन्न कारणों से फट कर निचली घाटियों में विनाशकारी बाढ़ ला सकती हैं। इन दोनों में एक वैज्ञानिक इसरो और दूसरा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से संबंधित है। यह अध्ययन अमेरिकी उपग्रह कोरोना और हेक्साजन द्वारा लिए गए उपग्रह चित्रों के आधार पर किया गया है।

ये उपग्रह चित्र सीआईए द्वारा 1995 में सार्वजनिक किए गए। डॉ. बिष्ट के अनुसार पुराने उपग्रह चित्रों के आधार पर किसी हिमनद झील को खतरनाक या संवेदनशील घोषित करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि ग्लेशियरों के सिकुड़ने से इन झीलों का आकार बदलने के साथ ही इनकी संख्या में भी बदलाव आ जाता है। कुछ स्थानों पर एक ग्लेशियर की जगह तीन-तीन ग्लेशियर बन चुके हैं। इसलिए इनकी निगरानी का डाटा जरूरी है। डॉ. बिष्ट के अनुसार फिलहाल सुप्रा टाइप की बसुधारा झील संवेदनशील नजर आ रही है, जिसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। प्रख्यात पर्यावरणविद् पद्मभूषण चंडी प्रसाद भट्ट का कहना है कि हिमालय अत्यंत गंभीर विषय है जिसके लिए केंद्र सरकार में अलग से विभाग होना चाहिए और भारत सरकार को हिमालय से संबंधित 5 देशों का साझा मंच बनाने की दिशा में पहल करनी चाहिए।

## ग्लेशियर का फटना

जयसिंह रावत



भारत के हिमालयी क्षेत्र में 1926 में पहली बार ग्लेशियर झील फटने से जम्मू कश्मीर में शियोक ग्लेशियर से आई बाढ़ की चपेट में आकर अबुदान गांव सहित आसपास का 400 किलोमीटर का इलाका बर्बाद होने की घटना दर्ज हुई थी। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि 1981

और 1988 में हिमाचल प्रदेश के शौन गैरांग ग्लेशियर से बनी कई झीलें अचानक खाली हो गईं



Rashtriya Sahara- 09- September-2021

# बाढ़ के कारण फसल नहीं लगाए जाने को क्षति माना जाए

**पटना (वार्ता)**। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में किसानों के बाढ़ के कारण फसल नहीं लगा पाने को भी क्षति माना और अधिकारियों को तीन से चार दिन में फसल नुकसान का पूर्ण आकलन कराने का निर्देश दिया।

कुमार ने बुधवार को यहां 'संवाद' में राज्य में बाढ़ आपदा एवं अल्प वृष्टि से उत्पन्न स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ के कारण जहां किसानों द्वारा फसल नहीं लगाई जा सकी, उसे फसल क्षति मानते हुए उन सभी किसानों को उचित सहायता उपलब्ध कराएं। साथ ही किसानों की फसल क्षति का भी आकलन कर उन्हें सहायता उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग एवं सभी जिलों के जिलाधिकारी बाढ़ के कारण हुई क्षति का पंचायतवार सही तरीके से आकलन करें, ताकि उसके आधार पर सभी प्रभावितों की मदद की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन से चार दिनों में बाढ़ से हुई क्षति का पूर्ण आकलन कर लें।



इसके बाद जिलों के प्रभारी मंत्री संबंधित जिलों में जाकर जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर इसे अंतिम रूप दें। उन्होंने कहा कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशु क्षति का भी ठीक से आकलन कराए और

पशुपालकों की सहायता करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अधिक वर्षापात होने से नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति बनी।

उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर राज्य के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। साथ ही प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को भी हवाई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया, ताकि वे अपने जिलों के पूरे क्षेत्रों का ठीक से जायजा ले सकें। कुमार ने कहा कि प्रभावित लोगों के बीच राहत एवं बचाव कार्य कर उन्हें हरसंभव मदद मुहैया कराया गया। उन्होंने राहत शिविरों में जाकर बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाये जा रहे राहत कार्यों एवं वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को सभी प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

Dainik Jagran- 09- September-2021

# पानी के लिए लोगों का कोर्ट आना दुर्भाग्यपूर्ण

मुंबई, प्रेस : नियमित तौर पर पीने के लिए पानी पाना लोगों का मौलिक अधिकार है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद लोगों को पानी पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। यह किसी विपक्षी नेता के भाषण का हिस्सा नहीं, बल्कि बांबे हाई कोर्ट की तलख टिप्पणी है।

जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस मिलिंद जाधव की पीठ ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी के कांबे गांव के निवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की। गांव के लोगों ने याचिका दायर कर अदालत से आग्रह किया था कि वह ठाणे जिला परिषद और भिवंडी निजामपुर नगर निगम के संयुक्त उद्यम स्टेम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्फ्रा कंपनी को उन्हें प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति करने का निर्देश दे। इस मामले पर गुरुवार को भी सुनवाई होगी। याचिका दाखिल करने वालों का कहना था कि उन्हें महीने में सिर्फ दो बार पेयजल की आपूर्ति की जाती है, वह भी सिर्फ दो घंटे के लिए। स्टेम के प्रबंध निदेशक भाऊसाहेब दांगड़े ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि पानी की आपूर्ति प्रतिदिन की जा रही है, लेकिन सिर्फ एक प्वाइंट तक। उस प्वाइंट के बाद से याचिकाकर्ताओं के घर-घर तक पानी पहुंचाना ग्राम

## लगाई फटकार

- महाराष्ट्र के ग्रामीणों की याचिका पर बांबे हाई कोर्ट की टिप्पणी
- कहा, पेयजल पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार

पंचायत की जिम्मेदारी है। इस पर अदालत ने पूछा कि जब तक व्यवस्था को अपग्रेड नहीं किया जाता, तब तक याचिकाकर्ताओं को क्या करना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा, 'प्रतिदिन कम से कम कुछ घंटे के लिए पानी की आपूर्ति की जानी चाहिए। यह उनका मौलिक अधिकार है। वास्तव में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिकाकर्ताओं को आजादी के 75 साल बाद भी पानी हासिल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।' याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्टेम कंपनी अवैध तरीके से स्थानीय नेताओं और टैंकर लाबी को पानी की सप्लाई करती है।

बड़े अफसरों को तलब करने की चेतावनी: पीठ ने कहा, 'हमें यह कहने को मजबूर मत करिए कि महाराष्ट्र सरकार अपने नागरिकों को पानी की आपूर्ति करने में विफल हो गई है। हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि राज्य सरकार इतनी असहाय हो गई है। हम उच्च पदाधिकारियों को बुलाने से भी नहीं हिचकेंगे।'



Rajasthan Patrika- 09- September-2021

## नदियों से सीधे पेयजल मिले, यह होगा प्रयास: शेखावत



पत्रिका न्यूज नेटवर्क  
patrika.com

नई दिल्ली. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भरोसा दिया है कि नर्मदा के किनारे बसे लोगों को इस पवित्र नदी का जल पीने योग्य मिले, इसके लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

शेखावत ने कहा कि लोगों के सहयोग, संतों के मार्गदर्शन और आधुनिक तकनीक से लोगों को

90 फीसदी से ज्यादा स्वच्छ जल सीधे नदियों से मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के जबलपुर में कंधारी नाले पर बने बांध का विस्तार किया जाएगा।

शेखावत ने दिल्ली में नर्मदा के संत के रूप में लोकप्रिय स्वामी गिरीश आनंद सरस्वती से मुलाकात कर कहा कि वह जल्दी ही नर्मदा के किनारे बसे शहरों के लिए केंद्रीय अध्ययन टीम भेजेगा।

Amar Ujala- 09- September-2021

अव्यवस्था

बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अपनाया सख्त लहजा, कहा-पेयजल आपूर्ति मौलिक अधिकार...

# दुर्भाग्य...पानी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे लोग

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि नियमित पेयजल आपूर्ति एक मौलिक अधिकार है लेकिन यह दुर्भाग्य है कि लोगों को आजादी के 75 साल बाद भी इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। यह सख्त टिप्पणी बुधवार को जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने भिवंडी कस्बे के कांबे ग्रामवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से जल वितरण कंपनी एसटीईएम को रोजाना पानी की आपूर्ति करने के निर्देश देने की गुहार लगाई है। यह कंपनी ठाणे जिला परिषद और भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का साझा उपक्रम है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अभी उन्हें

माह में केवल दो बार ही पानी मिल रहा है। इसे लेकर एसटीईएम के प्रबंध निदेशक भाउसाहेब डांगड़े ने कोर्ट को जानकारी दी है कि एक विशेष बिंदू तक पानी रोजाना पहुंचाया जा रहा है लेकिन वहां से याचिकाकर्ताओं के घरों तक इसकी आपूर्ति की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। डांगड़े ने कहा, गांव में आबादी बढ़ने के कारण बीते कुछ वर्षों में पानी की मांग बढ़ गई है। लिहाजा, हमें व्यवस्था उन्नत करने की जरूरत है। पीठ ने पूछा, व्यवस्था उन्नत होने तक याचिकाकर्ताओं को क्या करना चाहिए। जजों ने कहा, मौजूदा हालात के मद्देनजर कम से कम कुछ घंटों के लिए रोजाना पेयजल आपूर्ति की जानी चाहिए क्योंकि यह ग्रामवासियों का मौलिक अधिकार है। एजेसी



## कहने पर मजबूर न करें कि सरकार विफल

जजों ने कहा, हमें यह कहने पर मजबूर मत कीजिए कि महाराष्ट्र सरकार नागरिकों को पानी मुहैया कराने में विफल हो गई है। हम यह नहीं मानते कि सरकार इतनी लाचार है और हम इस मामले पर शीर्ष अधिकारियों को बुलाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि एसटीईएम स्थानीय नेताओं व टैंकर लॉबी वालों तक अवैध रूप से पानी पहुंचा रही है। उनका कहना है कि मुख्य पाइपलाइन से 300 अवैध पानी के कनेक्शन जुड़े हुए हैं।

## अवैध कनेक्शनों को लेकर शिकायत दर्ज क्यों नहीं

जस्टिस कथावाला ने कहा, कंपनी ने अवैध कनेक्शनों को लेकर पुलिस के पास शिकायत तक दर्ज कराने की तकलीफ नहीं उठाई और उसकी निष्क्रियता के चलते याचिकाकर्ताओं को उनके अधिकार का पानी नहीं मिल रहा है। लिहाजा, सबसे पहले कंपनी ऐसे अवैध कनेक्शन हटाए। साथ ही उन्होंने कहा, डांगड़े समस्या के समाधान में इच्छुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, डांगड़े ने जवाब दिया कि जब हम अवैध कनेक्शन हटाने जाते हैं तो 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ एकत्र होकर प्रदर्शन करने लगती है। खंडपीठ ने डांगड़े को अदालत में हाजिर होकर हलफनामा देने के निर्देश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।



Dainik Jagran 09-September-2021

# त्योहारों से पहले किसानों को एमएसपी बढ़ोतरी का तोहफा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही रबी फसलों की एमएसपी घोषित कर सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। दलहन और तिलहनी फसलों की खेती को प्रोत्साहन देते हुए उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 400 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि की गई है। रबी की प्रमुख फसल गेहूं के समर्थन मूल्य में 40 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आगामी रबी खरीद सीजन में गेहूं का न्यूनतम खरीद मूल्य 2,015 रुपये प्रति क्विंटल होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में एमएसपी के लिए कृषि लागत व मूल्य आयोग (सीएसपी) की सिफारिशों को बिना किसी बदलाव के मंजूर कर लिया गया।

एमएसपी समाप्त करने का भ्रम फैलाने वालों को कड़ा संदेश देते हुए केंद्रीय

कैबिनेट ने लगाई न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि पर मुहर

दलहन व तिलहनी फसलों के समर्थन मूल्य में 400 रुपये तक का इजाफा

एमएसपी के बारे में भ्रम फैलाने वालों को तोमर की कड़ी नसीहत



सौगात : नरेंद्र सिंह तोमर। जागरण अर्काइव

कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जोर देकर कहा, 'एमएसपी है और आगे भी रहेगी। इस पर किसानों की उपज की सरकारी खरीद होती रहेगी। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार की बातों पर किसानों को भरोसा करना चाहिए और भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहने की

जरूरत है। सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी में भारी वृद्धि की गई है, जो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाएगी।'

सीसीईए की बैठक में लिए फैसले के मुताबिक तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सरसों का एमएसपी 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,050 रुपये कर दिया है। सरकार ने खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष मिशन समेत कई और पहल की है। एमएसपी में वृद्धि भी उसी का हिस्सा है।

किसानों में फैलाए जा रहे भ्रम से निपटने के उद्देश्य से सरकार ने अक्टूबर में शुरू होने वाले रबी सीजन की फसलों की एमएसपी सितंबर की शुरुआत में ही घोषित कर दी है। कृषि मंत्रालय के बयान के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के मार्केटिंग सीजन के लिए रबी सीजन की छह प्रमुख फसलों की एमएसपी जारी की गई है। गेहूं खेती की अनुमानित लागत 1,008 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले एमएसपी में

भारी वृद्धि की गई है। वर्ष 2021-22 के मार्केटिंग सीजन में गेहूं की सरकारी खरीद अब तक सर्वाधिक 4.3 करोड़ टन की गई है। जौ की एमएसपी 1,600 रुपये से बढ़ाकर 1,635 रुपये कर दी गई है।

रबी सीजन की प्रमुख दलहनी फसल चना का समर्थन मूल्य 130 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,230 रुपये कर दिया गया है। जबकि मसूर की आयात निर्भरता घटाने के लिए सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 400 रुपये बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। कुसुम (सैफलावर) की एमएसपी 114 रुपये बढ़ाकर 5,441 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्पादन लागत के मुकाबले गेहूं और सरसों के समर्थन मूल्य में 100 फीसद की फीसद की वृद्धि की गई है।

वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे 56 परिवहन विमान

टेक्सटाइल सेक्टर को भी मिलेगा पीएलआई का लाभ

पेज&gt;&gt;3

पेज&gt;&gt;7